


परिशिष्ट-क

(विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-4800, द्वारा श्री जितेन्द्र गेहलोत)

क्र.	वर्ष	कारखाने का नाम	दुर्घटना का प्रकार एवं दिनांक	मृत/घायल श्रमिक का नाम	कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही	प्रबंधन द्वारा प्रदाय की गई क्षतिपूर्ति राशी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
01	2015	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
02	2016	ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लि. केमिकल डिवीजन, बिरलाग्राम नागदा	प्राणांतक दुर्घटना दि. 17. 11.2016	श्रमिक श्री हरिओम पिता श्री रामलाल की कारखाने के यू. पी.एस रूम में अग्नि दुर्घटना के दौरान प्रणांतक दुर्घटना हुई।	कार्यालय द्वारा कारखाना अधिभोगी एवं प्रबंधक के विरुद्ध कार. अधि. 1948 की धारा 38, 7ए-2ए, एवं म.प्र. कार. नियमावली 1962 के नियम 73, 72, 73-ई में अभियोजन की कार्यवाही की गई है	मृतक श्रमिक ई.एस.आई में पंजीकृत है (ESIC No.- 10920374) मृतक के आश्रितों को प्रबंधन द्वारा कुल 16,78,245/- लाख (एग्रीमेंट एवं बीमा योजना के तहत) एवं एक आश्रित को स्थाई नौकरी दी गई।	प्रकरण मा. सी.जे.एम न्यायालय, उज्जैन में दिनांक 07.02. 17 को दर्ज किया गया है एवं प्रकरण विचाराधीन है।
03	2017 जनवरी तक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक


संचालक,
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
मध्यप्रदेश, इंदौर


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग (शिका ए)
मंत्रालय, भोपाल